

O/o CE (EITC)

Receipt No. 3234

Date 17 AUG 2016

DGM (IT) / SE (O)

EE. Bill. Div. CPDCL

**CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUTION CO.LTD.**

(A Government of Chhattisgarh Undertaking) (A Successor Company of CSEB)

CIN:U40108CT2003SGC015822

**OFFICE OF EXECUTIVE DIRECTOR (COMMERCIAL),**

Ph: (0771) 2574441 (Fax) 2574442, website: www.cspdcl.co.in Email: cecomcseb@rediff.com

No.02-02/ED/ 1478

Raipur, Dt: 17.08.16

The Chief Engineer(EITC),  
CSPDCL : Raipur.

**Sub : Rebate on VCA to Domestic, Agriculture & Steel Industries.**

Special Secretary, Energy Deptt., GoCG vide order dtd. 12.08.2016 notified special package for domestic, agriculture consumers giving relief in VCA charges w.e.f. July'2016 to March'2017 and for steel industries w.e.f. Aug'2016 to March'2017. Copy of order is enclosed herewith.

You are requested to incorporate these changes in billing system and bill may be issued to consumers accordingly. For simplicity of billing, a sample billing procedure to beneficiary category of consumers is enclosed herewith.

Encl : As above

  
**Executive Director(Comm)**  
**CSPDCL:Raipur**

Copy to:-

- 1/ The Executive Director(O&M), CSPDCL, Raipur
- 2/ The Executive Director(DR)(RJN-R)/(BR), CSPDCL, Durg/Rajnandgaon/  
Bilaspur
- 3/ Chief Engineer(RR)/(AR)/(JR), CSPDCL, Raipur/Ambikapur/Jagdalpur

छत्तीसगढ़ शासन  
ऊर्जा विभाग  
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

आदेश

नया रायपुर, दिनांक 12/08/2016

क्रमांक 2521/एफ 29/02/2016/13/2: राज्य शासन एतद्वारा, कोयले की दरों में वृद्धि के कारण राज्य में 01 अप्रैल 2016 से लागू विद्युत की दरों में वृद्धि के कारण हुई वृद्धि से आम उपभोक्ताओं, किसानों तथा स्टील उद्योगों को राहत देने के लिए निम्नानुसार विशेष पैकेज की घोषणा करता है:-

1. सभी घरेलू उपभोक्ताओं को माह जुलाई 2016 से लगने वाले व्ही.सी.ए. चार्जस से 31 मार्च 2017 तक छूट रहेगी।
2. "कृषक जीवन ज्योति योजना" अंतर्गत पात्रताधारी कृषकों को निःशुल्क बिजली की सीमा तक व्ही.सी.ए. चार्जस से छूट रहेगी।
3. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से 132 केव्ही, 33 केव्ही एवं 11 केव्ही पर बिजली प्राप्त कर रहे स्टील उद्योग (एचव्ही-4) एवं रोलिंग मिल उद्योग (एचव्ही-5) को अगस्त 2016 से मार्च 2017 तक के बिजली की खपत पर देय ऊर्जा प्रभार में रूपये 1.40 प्रति यूनिट की छूट रहेगी।

उपरोक्तानुसार सहत पैकेज तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

C.M.  
12/8/16  
(एम0एस0 रत्नम)

विशेष सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
ऊर्जा विभाग

नया रायपुर, दिनांक 12/08/2016

पृष्ठा.क्रमांक: 2522/एफ 29/02/2016/13/2

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी (भारसाधक मंत्री, ऊर्जा विभाग), मंत्रालय, नया रायपुर
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
3. अध्यक्ष, छ0रा0 पॉवर कंपनीज, रायपुर
4. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, मुख्यमंत्री सह ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
5. सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग/वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
6. सचिव, छ0ग0 शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
7. सचिव, छ0रा0-विद्युत नियामक आयोग, शांति नगर, रायपुर
8. प्रबंध निदेशक, छ0रा0 पॉवर होल्डिंग/उत्पादन/पारेषण/वितरण/ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित, डंगनिया, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. डायरेक्टर, जनसम्पर्क विभाग, छ0ग0 शासन, नया रायपुर की ओर प्रचार-प्रसार हेतु।

C.M.  
12/8/16  
विशेष सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
ऊर्जा विभाग